IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन तथा प्रेस की स्वतंत्रता का विकास

[1] डॉ० रजनीकांत पाण्डेय

[1] प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उ० प्र०, भारत

सार संक्षेप:

आधुनिक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में व्यक्ति के अधिकारों तथा सरकार पर नियन्त्रण रखने के लिए कई संस्थाओं का विकास हुआ है। इसमें से कुछ औपचारिक कानूनी ढांचे के अन्तर्गत विकसित हुई है जबकि कुछ अन्य का विकास समाज के भीतर जनता की भागीदारी और लम्बे कालखण्ड में विकसित होते हुआ है। प्रेस इसी प्रकार की संस्था है जिसे लोकप्रिय रूप से लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन की महत्वपूर्ण बात यह रही कि इसमें कई धाराये अपने–अपने उद्देश्य को लेकर चलते रही। यह जनता के लिए ना केवल स्वतंत्रता आन्दोलन था बल्कि साथ ही साथ वह लोकतांत्रिक एक शासन शैली और जीवन शैली के रूप में आत्मसात कर रहे थे इसमें प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वतंत्रता आन्दोलन के अन्तर्गत भारतीय प्रेस का विकास हुआ। यूरोपीय लोगों द्वारा इससे परिचय होने के बाद भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग ने इस माध्यम का सार्थक और उद्देश्यपूर्ण प्रयोग किया और जनता के पास राष्ट्रवादी व लोकतांत्रिक विचार पहुँचाने में सफल रहे। प्रस्तुत शोधपत्र में इसी विषय को लेकर विवरणात्मक व विश्लेषणात्मक विचार किया गया है।

मूल शब्द: प्रेस, लोकतंत्र, आधुनिकता, स्वतंत्रता आंदोलन, नीति।

प्रेस अर्थात पत्र–पत्रिकाएं और समाचार पत्र आधुनिक युग की खोज है और अपनी खोज के बाद इनका लोकजीवन में तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। जल्दी ही यह अपने विचार अभिव्यक्ति और विचारधारा के प्रसार का माध्यम बन गये। प्रेस ने राजनितिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका हासिल की है। इसका प्रसार सबसे पहले यूरोपीय देशों में हुआ बाद में वे उपनिवेशों में कुछ साहसी और समर्थ लोगों द्वारा ले जाई गई। औपनिवेशिक शासन के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे नेताओं और बुद्धिजीवियों द्वारा प्रेस का स्वागत किया गया और इसका उपयोग भारत जैसे देश में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार, प्राप्त अधिकारों और सीमाओं के भीतर औपनिवेशिक शामन की आलोचना करने के लिये किया गया। प्रेस और समाचार–पत्र ब्रिटिशकालीन भारत में बड़े शहरों और महानगरों तक सीमित रहे। इसके कारण इसका प्रभाव धीरे–धीरे बढ़ा क्योंकि ब्रिटिश भारत में लगभग नब्बे प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती थी। आवागमन और सम्पर्क के साधनों का विकास पूरे भारत में एक समान रूप से नही हुआ था। किन्तु फिर भी प्रेस का भारत में प्रभाव बढ़ा क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में शामिल सभी नेताओं, समाज सुधारको तथा बुद्धिजीवियों ने इसका प्रयोग किया। अपनी–अपनी पत्र–पत्रिकाए निकालनी शुरू की और प्रेस को लोकतंत्र का अंग होने का सार्थक कर दिया।

प्रेस का विकास

जैसे–जैसे यूरोप के अलग–अलग देशों से व्यापारी के रूप में साम्राज्यवादी भारत में आते गये वैसे–वैसे वहाँ उपयोग की जा रही चीजों से भारत के लोगों का परिचय होता गया। 'पुर्तुगाली पहले लोग थे जो मुद्रणालय (prrinting press) भारत में लाए और 1557 में गोआ के पादरियों ने पहली पुस्तक भारत में छापी। 1684 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बम्बई में एक मुद्रणालय लगाया लगभग 100 वर्ष तक कम्पनी के प्रदेशों में कोई समाचार–पत्र नहीं छपा क्योंकि कम्पनी के कार्यकर्ता यह नही चाहते थे कि उनके ऊपकर्म (Malpractices) तथा निजी व्यापार के समाचार लन्दन पहुँचे।[1]

भारत में आधुनिक किस्म के समाचार–पत्र निकालने का प्रयास ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कर्मचारी ने किया। ये वे कर्मचारी थे जो ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अन्य कर्मचारियों की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट थे। वे कम्पनी के काम करने के तरीकों को सबके समक्ष लाना चाहते है जिसका नेतृत्व विलियम बोल्ट्स कर रहे थे। किन्तु उनकी योजना मूर्त रूप नहीं ले पाई और उच्च अधिकरियों ने उन्हें इंगलैण्ड वापस भेज दिया।

1780 में जे० के० हिक्की ने बंगाल बजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरम्भ किया था।. हिक्की के कम्पनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी थी। परन्तु उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। हिक्की के प्रेस को कम्पनी ने जब्त कर लिया और इस प्रकार से बंगाल गजट का अंत हो गया। परन्तु इससे हिक्की के स्वभाव तथा दृष्टिकोण के पत्रकारों की संख्या घटने की अपेक्षा दिनोंदिन बढ़ती ही गई। नवंम्बर 1780 में प्रकाशित इण्डिया गजट दूसरा समाचार–पत्र था।. इसके साथ ही जहाँ एक ओर भारतीय प्रेस के क्षेत्र में तीव्र गति से विकास हुआ वही दूसरी ओर पत्रकार कम्पनी के अधिकारियों के लिए समस्या बने रहे।[2]

कुछ ही समय में समाचारपत्रों की संख्या का तेजी से प्रसार हुआ। खासकर महानगरों में इसका तेजी से विकास हुआ। कलकत्ता कैरियर, एशियाटिक निरर, ओरियंटल स्टार, बम्बई गजट, हेराल्ड, मद्रास कैरियर, मद्रास गजट, कलकत्ता क्रानिकल इत्यादि समाचार–पत्र निकाले गये। लगभग सभी समाचार–पत्र सामान्य तथा मनोरजन की दृष्टि से निकाले गये।. इन समाचार पत्रों के लिए कोई विनियम उस समय तक नहीं बना था क्योंकि समाचारपत्रों की संख्या थी और वे अधिकारियों के नियन्त्रण में थे। दूसरे इन समाचार पत्रों ने कोई क्रांतिकारी या परिवर्तनकारी भूमिका भी नहीं ली थी। ये समाचार–पत्र अंग्रेजी हितों और अभिरूचियों को ध्यान में रखकर निकाले जाते थे। भारतीय जनता की दशा, स्थिति और गतिविधि से समाचार–पत्रों का कोई सम्पर्क नहीं था।

सन् 1816 ई0 में पहले भारतीय गंगाधर भट्टाचार्य ने अपना समाचार–पत्र साप्ताहिक बंगाल गजट निकाला मार्शमैन ने बंगाली भाषा में दिग्दर्शन (1818) तथा काशिसेन ने समाचार दर्पण (1818) निकाला। राजाराम मोहन राय ने प्रगतिशील दृष्टिकोण से बंगाली में संवाद कौमुदी (1821) तथा फारसी में मिरात उल अख़वार (1822) में निकाला। इसके उलावा उन्होंने अंग्रेजी में ब्राहिननिकल मैगजीन भी निकाला। लगभग सभी बड़े लोगों, बुद्धिजीवियों और समाजसेवियों ने अपने–अपने समाचार–पत्र और मैगजीन निकाले जिसमें बंगदत्त अखबार (द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर तथा राजा राममोहन राय) रस्त गोफतार (दादा भाई नौरोजी) सोमप्रकाश (ईश्वर चन्द्र विद्यासाग), इंडियन मिरर (देवेन्द्रनाथ टैगोर व मनमोहन घोष) सुलभ समाचार (केशवचंद्र सेन) अमृत बाजार पत्रिका (मोतीलाल घोष), बंगाली (सुरेन्द्रनाथ बनर्जी), मार्डन रिव्यू (रामानन्द चटर्जी) तथा अन्य महत्वपूर्ण समाचार–पत्र व पत्रिकाएं शामिल थे। विशेषतथा बंगाली क्षेत्र के थे।

हिन्दी क्षेत्र में भी इसका असर हुआ। हिन्दी में स्वामी राजा रामपाल सिंह ने हिन्दोस्तान शुरू किया। भारतेन्दु हरिशचन्द्र ने कविवचन सुधा, हरिशचंद्र मैगजीन, बालकृष्ण भट्ट द्वारा हिन्दी प्रदीप, सच्चिदानन्द सिंहा ने हिंदुस्तान रिव्यु शुरू किया। बाल गंगाधर द्वारा सम्पादित मराठा और केजरी, एम०जीव रानाडे द्वारा इंदु प्रकाश, फिरोजशाह मेहता द्वारा बाम्बे क्रानिकल तथा अरविन्द घोष और वारीद्र घोष द्वारा जुगान्तर तथा वंदेमातरम् पत्रों के प्रकाशन ने भारतीय जनता को अखिल भारतीय स्तर पर स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिये संघर्ष करना सिखाया।

भारतीय नेताओं और बुद्धिजीवियों द्वारा प्रकाशित होने वाले अन्य महत्वपूर्ण अखबार इंडिपेडेंस (मोतीलाल नेहरू) इंडिपेंडेंट इण्डिया (एम0 एन0 राय) अन्य हिलाल व अल बिलाग (मौलाना अबुल कलाम आजाद) कामरेड व हमदर्द (मोहम्मद अली) न्यू इण्डिया (एनी बेसेंट) इण्डियम ओपीनियन, यंग इण्डिया, नवजीवन व हरिजन (महात्मा गाँधी) नेशनल हेराल्ड (जवाहर लाल नेहरू) मूकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता व प्रबुद्ध भारत (बी० आर० अम्बेडकर) बहुत लोकप्रिय और पढ़े जाने वाले समाचार–पत्र थी।

प्रेस पर नियंत्रण:

लार्ड वेलेजली के समय सबसे पहले समाचार–पत्रों को नियन्त्रित और विनियमित करने का औपचारिक प्रयास शुरू हुआ। उसके समय 1799 का द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट लागू किया गया जिसमें किसी भी अखबार को सम्पादक, मुद्रक और मालिक का नाम अपने अख़बार में स्पष्ट रूप से लिखने के साथ उसमे छपने वाले सभी समाचारों की सचिव के पास भेजना अनिवार्य किया गया। हॉलाकि 1818 ई0 आते–आते इस सेंसरशिप को समाप्त कर दिया गया लेकिन पुन 1823 ई0 में जान एडम्स के गवर्नर जनाल बनने पर पुनः और अधिक कड़ाई के साथ सेंसरशिप को लागू किया गया। इसे द लाइसेंसिंग रेग्यूलेशन ऑफ 1823 कहा गया इसके कारण राजाराममोहन राय को अपना अखबार मिरात उल अखबार बन्द करना पड़ा।

पुनः 1835 ई0 में स्थिति में परिवर्तन हुआ। लार्ड विलियम बैटिक के समय द लिबरेशन ऑफ इण्डियन प्रेस 1835 लागू हुआ। हॉलाकि 1823 के कानून को रद्द करने का श्रेय चार्ल्स मेटकाफ को मिला इसीलिए वे भारतीय समाचार–पत्रों को मुक्तिदाता कहलाये। इसके बाद लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857, रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, द न्यूजपेपर एक्ट 1908, द इण्डियन प्रेम एक्ट 1910, द इण्डियन प्रेस (इमरजेंसी पॉवर) एक्ट 1931 तथा प्रेस इंक्यावरी कमेटी जैसे कानून और समितियाँ बनाई गई। जैसे–जैसे ब्रिटिश शासित क्षेत्र का विस्तार होता गया और प्रशासनिक व राजनीतिक तंत्र जटिल होता गया प्रेस पर ब्रिटिश सत्ता द्वारा नियन्त्रण अधिक से अधिक बढ़ाया जाने लगा। कुछ गवर्नर जनरलों ने समाचार–पत्रों के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण नीति अपनाई। भारतीय समाचार–पत्रों की संख्या में 1857 ई0 के बाद अभूतपूर्व वृद्धि हो गई। इसके साथ आलोचना भै भी वृद्धि हो गई। 1878 के देशी भाषा समाचार–पत्र अधिनियम से सरकार ने भारतीय भाषा समाचार–पत्रों की अधिक नियन्त्रण में लाने का प्रयत्न किया और इसे राजद्रोही लेखों को दबाने और दण्डित करने का अधिक सफल अस्त्र बनाया। ?[3]

समाचार–पत्रों पर नियन्त्रण रखने का उद्देश्य स्पष्ट था। ब्रिटिश शासक सदैव से यह चाहते थे कि समाचार–पत्र भारत में उनके अन्याय, लूट और भेदभाव की ख़बरों को प्रचारित प्रसारित न करें। दूसरे उनका प्रमुख उद्देश्य भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार को रोकना था। जिसके लिए समाचार–पत्र एक माध्यम का कार्य कर रहे थे। जैसे–जैसे भारत में स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए जनता में एक जुटता बढ़ती गई वैसे–वैसे ब्रिटिश सरकार का नियन्त्रण समाचार–पत्रों तथा अन्य माध्यमों पर बढ़ता गया। इसके लिये दो उदाहरण पर्याप्त है। 1878 ई० के द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की यह अधिकार दिया गया कि वे समाचार–पत्रो से यह बॉण्ड भरवाये कि वे सरकार विरोधी किसी भी समाचार का प्रकाशन नहीं करेंगे। उनका ही निर्णय अंतिम होना था और इससे बचने के लिये प्रसारित होने वाली प्रतियों को सरकारी कर्मचारियों को पहले दिखाने की शर्त थी। जाहिर है सरकार विरोधी विचारों को प्रकाशित होने से रोकने का अर्थ आलोचना को रोकना था जो लोकतंत्र का प्राणतत्व है। यह विचारों की अभिव्यक्ति से सम्बन्धित भी है। लोकतंत्र में इसके अभाव में व्यक्ति के स्वतंत्रता की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

1896–97 के अकाल और प्लेग से दक्कन में बहुत अशान्ति फैल गई और हिंसा की घटनाएं भी हुई। राजनैतिक विवादों में भी समाचार–पत्रो ने अपना योगदान किया। 1898 के अधिनियम द्वारा दण्ड संहिता की 124 धारा को पुनः स्थापित और विस्तृत किया गया और एक नई धारा 153–A भी जोड़ दी गई। इसी प्रकार धारा 505 को संशोधित किया गया ताकि वे कथन जो सेना में असन्तोष फैलाए अथवा किसी व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध कार्य करने की प्रेरणा दें ; उन्हें भी दण्डित किया जा सके।

लोगों और संगठनों के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगातार बढ़ता गया। सन् 1910 ई0 में लागू गया कानून और अधिक कठोरे था। जिसमे सरकार विरोधी सामग्री प्रकाशित करने पर मांगी गई जमानत को जब्त करने के साथ–साथ पूरे प्रेम को प्रतिबंधित करने का अधिकार सरकार को दिया गया था। प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान सरकार को यह बहाना मिला कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा, सम्प्रभुता को खतरा बताकर व्यक्तिगत वाक् अभिव्यक्ति और उसके प्रसारण के अधिकार को समाप्त करें। ब्रिटिश सरकार ने यही किया।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव:

ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत विकसित हुई राष्ट्रीय चेतना में प्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासको की यह पता था कि प्रेम के माध्यम से भारतीयों के बीच राष्ट्रीय चेतना का प्रसार प्रभावशाली ढ़ंग से हो रहा है। राष्ट्रीय महत्व के विषयों तथा भारतीयों के लिए नुकसानदेय नीतियों के विरोध में भारतीय समाचार–पत्रों ने सकारात्मक व नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। बंगाल विभाजन (1905 के समय समाचार–पत्रों की भूमिकाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। तिलक, घोष बन्धुओं सहित विभिन्न पत्र पत्रिकाओं ने बंगाल विभाजन का मुखर और तार्किक विरोध किया। बंगाल विभाजन के रद्द होने पर समाचार–पत्रों को नैतिक सफलता का अनुभव हुआ

ब्रिटिश सरकार इसके लिए अतिरिक्त सचते रहती थी और धीरे–धीरे उसने सम्पादकों और लेखकों को सीधा निशाना बनाना शुरू किया। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के आरम्भिक नेताओं में शामिल सुरेंद्र नाथ बनर्जी पत्रकारिता के लिये जेल जाने वाले पहले भारतीय थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय में शालिग्राम की एक प्रतिभा को लेकर चल रहे मुकद्दमे में न्यायधीश ने उसको नवीन घोषित किया जिससे आस्थावान लोग असहमत थे। सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने अपने अखबार 'बंगाली' (1883) में न्यायधीश के मत का स्पष्ट विरोध किया। उच्च न्यायालय में उनके खिलाफ अदालत की मानहानि का मुफद्दमा चला। इस मुकद्दमें की सुनवाई पाँच जजों की बेंच ने की। जिसमें चार यूरोपीय थे। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को दो मास कैद की सजा दी गई। बेंच में शामिल भारतीय जज रोमेश चंद्र मित्र इस फैसले से असहमत थे। इस फैसले की खबर फैलते ही जनता का गुस्सा भड़क उठा।[5]

उल्लेखनीय है कि इसके बाद कई पत्रकारों को उनके समाचार के लिये गिरफ्तार किया गया। प्रेस को जब्ट किया गया लेकिन दो राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी ने देश की सबसे अधिक प्रभावित किया। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय चेतना को प्रसारित करने में लोकमान तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने कई संस्थाए शुरू करके, उत्सवों का आयोजन करके तथा समाचार–पत्रों के प्रकाशन से राष्ट्रीय चेतना की विकसित करने का काम किया। उनकी पत्रकारिता बहुत मुखर थी। जब चापेकर बन्धुओं ने पूना के प्लग कमेटी के अध्यक्ष बैंड तथा लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या की तब ब्रिटिश सरकार ने इससे तिलक को सम्बन्धित करने का षड्यन्त्र किया।

'27 जुलाई 1897 की तिलक गिरफ्तार कर लिये गए। न्यायाधीश स्ट्रेची की अदालत में मुकद्दमा चला। जूरी में छह यूरोपीय और तीन भारतीय थे।.तिलक के मुकद्दमें में जूरी ने 6/3 मतों से तिलक की अपराधी ठहराया। तीनों भारतीय सदस्यों की राय में तिलक ने अपराध नही किया था। पर न्यायाधीश स्ट्राची और जूरी के 6 यूरोपीय सदस्यों के इरादे तो कुछ और ही थे। तिलक को 18 महीने कड़ी कैद की सजा दी गई। वह भी तब जब कि तिलक बंबई धारासभा के सदस्य थे। इसी तरह बंबई प्रेसीडेंसी के कई अन्य संपादको को भी विभिन्न मामलों में कड़ी सजाए दी गई।[6]

इसके बाद भी एक बार तिलक को 24 जून 1908 को राजद्रोह लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में भारत में मजदुर वर्ग की अभूतपूर्व हड़ताल हुई। महात्मा गाँधी को भी उसके समाचार–पत्र यंग इण्डिया में लिखे लेखों के कारण 1922 ई0 में राजद्रोह का मुकद्दमा चलाया गया। और छह महीने की सजा दी गई। इस प्रकार बड़े नेताओं से लेकर सामान्य पत्रकारों तक सभी को ब्रिटिश सरकार ने अपने हित में प्रतिबंधित करने का प्रभास किया।

विवेचना:

समाचार–पत्रों ने ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन किया। राष्ट्रीय चेतना के विस्तार का माध्यम व साधन बनने के साथ–साथ लोगों को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करने, समस्याओं को सत्ता तक पहुंचाने, आर्थिक शोषण तथा औपनिवेशिक अर्थतंत्र का मूल्यांकन करने, भारतीय संस्कृति, भाषा और जीवन मूल्य की रक्षा तथा आत्मालोचना करने का कार्य समाचार–पत्रों ने किया। समाचार–पत्रो ने साम्प्रदायिक विचारधारा के विरुद्ध राष्ट्रीय एकता का पक्ष लिया। राष्ट्रीय एकता के लिए उत्पन्न होने वाले खतरों का वैचारिक मुकाबला काने का कार्यभार भारतीय समाचार–पत्रों तथा पत्र–पत्रिकाओं ने अपने ऊपर लिया।

ब्रिटिश सरकार ने लगातार प्रेस पर निमन्त्रण बढ़ाने और कठोर करने का प्रयास किया। समाचार–पत्रों के प्रबन्धन तथा सम्पादकों ने विभिन्न प्रकार की जोखिम उठाकर प्रतिबद्धता के साथ उनका प्रकाशन किया। उस समय समाचार–पत्र को प्रकाशित करना किसी प्रकार निजी लाभ में नही होता और सरकार की आलोचना करने के कारण यह जोखिम और बढ़ जाता। किन्तु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय सम्पादकों ने यह जोखिम उठाया। समाचार–पत्र जनमत के प्रबल वाहक बन गये और उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन को दिशा दी। भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान समाचार–पत्र ऐसी लोकतांत्रिक संस्कृति बनाने में सफल रहे जिससे स्वतंत्रता के बाद ना केवल भारतीय संविधान में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अन्तर्गत प्रेस को आजादी को स्थान मिला बल्कि प्रेस को वैचारिक स्वतंत्रता का वातावरण मिला जिससे लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में सम्भव हो सका है।

संदर्भ:

1. बी0एल0 ग्रोवर (1997) आधुनिक भारत का इतिहास, एस चन्द एण्ड कम्पनी लि0, नई दिल्ली, पृष्ठ 389।
2. आर0एल0 शुक्ल (सम्पादक) (2006) आधुनिक भारत का इतिहास (स्वतंत्रता–प्रारित और देश विभाजन तक) हिंदी अध्ययन कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, पृष्ठ 378–79।
3. बी0एल0 ग्रोवर (1997) वही पृष्ठ 393–394।
4. वही पृष्ठ 394–395।
5. प्रो0 बिपिन चंद्र व अन्य (1994) भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, पृष्ठ 69।
6. वही पृष्ठ 71–72।
7. सुमित सरकार (2010) आधुनिक भारत, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
8. डॉ सत्या एम राय (सम्पादक) (2006) हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
9. अयोध्या सिंह (1982) भारत का मुक्ति संग्राम, मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड, दिल्ली।